(2010] 15 (एडीडीएल) एस.सी.आर. 686

आर.जयरामा एवं अन्य व. केरल राज्य एवं अन्य।

(2010 की सिविल अपील संख्या 10098-10102)

29 नवंबर 2010

(पी. सदाशिवम और डॉ. बीएस चौहान, जे.जे.)

सेवा कानून - चयन - लोक सेवा आयोग द्वारा - वरिष्ठता का निर्धारण - अपीलकर्ताओं को पहले की रिक्तियों के खिलाफ चयन किया गया था लेकिन उसी बैच के अन्य लोगों के साथ नियुक्त नहीं किया गया था - उन्हें बाद में नियुक्त किया गया था - अपीलकर्ताओं का दावा जो उन लोगों से ऊपर रखे जाने के हकदार थे बाद की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया - अपीलकर्ताओं द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा सलाह की तारीख से वरिष्ठता का दावा किया गया - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता को सरकारी आदेश दिनांक 17-06-1999 की तारीख से माना - माना: अपीलकर्ताओं का दावा तर्कसंगत नहीं है - लोक सेवा आयोग द्वारा चयन केवल अनुशंसात्मक है और स्वचालित नियुक्ति नहीं करता है - नियुक्ति प्राधिकारियों को वैध कारण के बिना, पूर्वव्यापी तिथि से काल्पनिक वरिष्ठता नहीं देनी चाहिए, जो पहले से ही सेवा में प्रवेश कर चुके लोगों की वरिष्ठता को प्रभावित करेगा -

वरिष्ठता की गणना पद की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर की जानी चाहिए - अपीलकर्ताओं की बर्खास्तगी को रोकने के लिए, सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए एक आदेश लाया और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सेवाओं को बरकरार रखते हुए इसे बरकरार रखा। 17-06-1999 - चूंकि सरकार द्वारा किसी को भी, विशेष रूप से पदोन्नत लोगों को कोई अवसर दिए बिना, छूट और छूट का आदेश दिया गया था, सरकार संभावित रूप से आदेश देती है - यदि पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है तो यह उन व्यक्तियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो पहले से ही पदोन्नत थे - केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 - नियम 39,

आर.जयरामा एवं अन्य व. केरल राज्य एवं अन्य 687

अंतरिम आदेश - मुख्य याचिका खारिज होना - उसमें पारित अंतरिम आदेश पर प्रभाव - माना गया: मुख्य याचिका खारिज होने के बाद अंतरिम आदेश भी रद्द हो गया |

जी.0.(एमएस) संख्या 171/74/होम दिनांक 18.11.1974 के अनुसार जिला सशस्त्र रिजर्व (रिजर्व सब इंस्पेक्टर) में सब इंस्पेक्टरों के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे। केरल राज्य लोक सेवा आयोग ने रिजर्व सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अपीलकर्ताओं ने उक्त पद के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार के बाद एक रैंक सूची तैयार की गई जिसमें अपीलकर्ताओं को भी शामिल किया गया। रैंक सूची में उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष ओपी दायर किया और उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा पुलिस महानिदेशक को पीएससी को रिक्तियों की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया और उसके बाद ऐसी रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को सलाह देने के लिए पीएससी को एक और अंतरिम आदेश जारी किया। अंततः उच्च न्यायालय ने याचिकाएँ ख़ारिज कर दीं। उसी के मद्देनजर, केरल लोक सेवा आयोग के सचिव ने सलाह दिए गए उम्मीदवारों को छुट्टी देने के लिए सरकार को सूचित किया। सरकार ने जीओ (आरटी) नंबर 3241/99/होम दिनांक 17.06.1999 के तहत, केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के नियम 39 को लागू करके उन्हें सेवा में बनाए रखने के आदेश जारी किए। तदनुसार, उन्हें वरिष्ठता सौंपी गई थी रिजर्व सब इंस्पेक्टरों को उनकी सलाह की तारीख से प्रभावी किया जाएगा और उनके नाम रिजर्व सब इंस्पेक्टरों की अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल किए जाएंगे। हालाँकि, कुछ पदोन्नत लोगों ने पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले सीधे भर्ती किए गए सहायक उप निरीक्षक को रिजर्व उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत करने के लिए सौंपी गई वरिष्ठता को संशोधित करने की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष ओपी दायर किया। सीधे भर्ती किए गए रिजर्व सब

इंस्पेक्टरों को दी गई वरिष्ठता के खिलाफ एक और ओपी दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा से अधिक नियुक्त किया गया था।

688. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2010] 15 (एडीडीएल) एससीआर

उच्च न्यायालय ने पाया कि अंतरिम आदेशों के अनुसार सलाह दिए गए और नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के मुकाबले केवल 7 उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा में रखा जाना था और शेष व्यक्ति 17.06.1999 से वरिष्ठता के लिए पात्र थे, अर्थात, सरकार के आदेश का तारीख.

तत्काल अपील में, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उन्हें सेवा में बनाए रखने की प्रासंगिक तारीख सलाह की तारीख यानी 04.01.1993 थी, न कि सरकारी आदेश की तारीख, यानी 17.06.1999। यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता, जिन्हें पहले की रिक्तियों के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण उसी बैच के अन्य लोगों के साथ नियुक्त नहीं किया जा सका, जब बाद में नियुक्त किया गया, तो वे बाद की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किए गए लोगों से ऊपर रखे जाने के हकदार थे। .

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुये

आयोजित:1.1. दावा है कि अपीलकर्ता, जिन्हें पिछली रिक्तियों के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण उसी बैच के अन्य लोगों के साथ नियुक्त नहीं किया जा सका, जब बाद में नियुक्त किया गया, तो उन्हें बाद की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किए गए लोगों से ऊपर रखा जाना होगा। अस्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि यह स्थापित कानून है कि पीएससी द्वारा चयन केवल अनुशंसात्मक है और इसका मतलब स्वचालित नियुक्ति नहीं है और नियुक्ति प्राधिकारियों को पूर्वव्यापी तिथि से वैध कारण के बिना काल्पनिक वरिष्ठता नहीं देनी चाहिए, जो उन लोगों की वरिष्ठता को प्रभावित करेगा जो सेवा में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। (पैरा 9] [701-एसी]

1.2, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर सरकार द्वारा पीएससी को 04.01.1993 को सलाह दी गई थी।

अंतरिम निर्देश में कहा गया पर आधारित, अपीलकर्ताओं के दावे पर विधिवत विचार किया गया। आख़िरकार उनकी रिट याचिकाएँ ख़ारिज कर दी गईं। ऐसी परिस्थितियों में, मुख्य याचिका के खारिज होने के बाद, अंतरिम आदेश भी रद्द हो जाता है और अपीलकर्ता अंतरिम आदेश दिनांक 04.01.1993 के आधार पर कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। अंतरिम आदेश के आधार पर,

अकेले 7 रिक्तियों की सूचना दी जा सकती थी और उन अभ्यर्थियों को ही सलाह दी जाती और सीधी भर्ती की तारीख के अनुसार निर्धारित कोटा नियम के अनुसार नियुक्त किया जाता।

[पैरा 11,12] [701-जीएच; 702-ए-

1.3. अपीलकर्ताओं के अनुसार, जब उन्हें पीएससी द्वारा सलाह दी गई थी तब रैंक सूची जीवित थी और इसलिए, सलाह और नियुक्ति वैध रूप से की गई थी और अपीलकर्ता अपनी सलाह और नियुक्ति को नियमित मानने के हकदार थे। उनकी सलाह और नियुक्ति के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि वे अपनी सलाह की तारीख यानी 04.01.1993 से वरिष्ठता और सभी परिणामी लाभ पाने के हकदार थे, न कि सरकारी आदेश की तारीख यानी 17.06.1999 से, जैसा कि उनके द्वारा आयोजित किया गया था। उच्च न्यायालय। अपीलकर्ताओं का उपरोक्त दावा कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि सीधी भर्ती से आए लोगों को 40 पदों के संबंध में वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं था। प्रारंभ में केवल 27 रिक्तियों की सूचना दी गई थी। यदि 27 पदों की गणना की जाती है, तो सीधी भर्ती अधिसूचित रिक्तियों के 50% तक सीमित होनी चाहिए। विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य जो कि गृह विभाग का पत्र दिनांक 22.08.1984 है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उल्लिखित पदों की संख्या 187 है। सीधी भर्ती के पक्ष में 50% कोटा 93 होगा। रिकॉर्ड से, यह देखा गया है कि तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि 119 पदोन्नत व्यक्ति उपनिरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। सीधी भर्ती की संख्या 41 हो

जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती 11 पदों पर निकाली गई, उपरोक्त 11 पदों को घटाकर कोटा काम करना होगा।

690 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2010] 15 (एडीडीएल) एससीआर

उच्च न्यायालय के अनुसार, हालांकि अपीलकर्ताओं ने दावा किया था कि सभी पदों को अनुपात के अनुसार काम करने के लिए गिना जाना चाहिए, यदि विशेष भर्ती के लिए निर्धारित 11 पदों को घटा दिया जाए, तो शेष 176 हो जाएगा। नतीजतन, 50% पद सही भर्ती के लिए देय होंगे। 176 नतीजतन, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध अतिरिक्त पद 47 पद यानी 88-41=47 थे। गृह विभाग के आधिकारिक संचार के आधार पर रिक्तियों के अनुपात और संख्या के इस सरल अंकगणित के आधार पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि पीएससी द्वारा तैयार रैंक सूची से केवल 40 व्यक्तियों को पीएससी में समायोजित किया जा सकता है। लेबल कोटा. 7 पद उनकी आवंटन पात्रता से बाहर हैं। वरिष्ठता की गणना पद की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर की जानी थी। वास्तव में, अपीलकर्ताओं की बर्खास्तगी को रोकने के लिए, सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए एक आदेश लेकर आई और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सेवाओं को 17.06.1999 से बरकरार रखते हुए इसे बरकरार रखा। [पैरा 13] [702-जीएच; 703-एजी]

1.4. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और नियमों के संदर्भ में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा, अंतरिम आदेश दिनांक 30.05.1991 के बाद सलाह दिए गए पहले 7 उम्मीदवार अकेले प्रत्यक्ष के 50% कोटा के खिलाफ रिक्तियों के लिए कानूनी रूप से पात्र थे। भर्ती। अन्य, उस 7 से अधिक, कानून के अनुसार इतने पात्र नहीं हैं। यदि अपीलकर्ताओं को आवश्यक रूप से समायोजित किया जाता है, तो यह नियुक्ति की पद्धति के अनुसार पदोन्नत लोगों के उनके योग्य कोटा पर कब्जा करने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। (पैरा 14] [704-एबी]

1.5. चूंकि सरकार द्वारा किसी को भी, विशेष रूप से पदोन्नत लोगों को कोई अवसर दिए बिना, छूट और छूट का आदेश दिया गया था, इसलिए, सरकारी आदेश संभावित रूप से संचालित होता है और यदि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है तो यह प्रतिकूल होगा।

उन व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित करें जो जारी होने की तारीख से पहले ही पदोन्नत हो चुके थे। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय संतुष्ट है कि उच्च न्यायालय ने लागू नियमों के अनुसार सभी पहलुओं पर विचार किया है और परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं का दावा खारिज किया जाता है। [पैरा 15,16] (704-सीई)

सुरिंदर सिंह और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (1997) 8 एससीसी 488; राखी राय एवं अन्य। बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य। (2010) 2 एससीसी 637; कर्मचारी राज्य बीमा निगम अखिल भारतीय आईटीडीसी कर्मचारी संघ और अन्य। (2006) 4 एससीसी 257; अमरजीत सिंह और अन्य बनाम देवी रतन और अन्य (2010) 1 एससीसी 417; के. तुलसीधरन। केरल राज्य लोक सेवा आयोग, त्रिवेन्द्रम एवं अन्य। (2007) 6 एससीसी 190 - पर निर्भर।

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य। वी. श्री डी. जनार्दन राव और अन्य। (1976) 4 एससीसी 226; बलवंत सिंह नरवाल एवं अन्य। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (2008) 7 एससीसी 728 - संदर्भित।

<u>केस कानून संदर्भ:</u>

(1976) 4 एससीसी 226	संदर्भित	पारा 9
(2008) 7 एससीसी 728	संदर्भित	पारा 9
(1997) 8 एससीसी 488	भरोसा	पारा 10
(2010) 2 एससीसी 637	भरोसा	पारा 10

(2006) 4 एससीसी 257 भरोसा पारा 10

(2010) 1 एससीसी 417 भरोसा पारा 10

(2007) 6 एससीसी 190 भरोसा पारा 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की सिविल अपील संख्या 10098-10102।

2002 के ओपी, संख्या, 5818 में निर्णय और आदेशों से

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2010] 15 (एडीडीएल) एससीआर 692

2001 (आर) का ए (पी) और 31240 दिनांक 29.08.2006 और एर्नाकुलम में केरला के उच्च न्यायालय के 2006 के आरपी नंबर 1165, 1164 और 1163 दिनांक 07.02.2007 में।

आर. वेंकटरमणि, सीएस राजन, जयदीप गुप्ता, एम. गिरीश कुमार, अल्जो के. जोसेफ, विजय कुमार, ए. रघुनाथ, जी. प्रकाश, बीना प्रकाश, वी. सेंथिल, राधा श्याम जेना, बीवी दीपक, दिलीप पिल्लल, टी. टी.के. दीपक एंड कंपनी उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

पी. सदाशिवम, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. ये अपीलें एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2002 के ओपी नंबर 5818 और 2001 के ओपी नंबर 31240 दिनांक 29.08.2006 और आरपी नंबर 1163, 1164 और 1165 में पारित सामान्य अंतिम निर्णय और आदेशों के खिलाफ निर्देशित हैं। 2006 दिनांक 07.02.2007 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(ए) सरकारी आदेश दिनांक 18.11.1974 द्वारा, केरल सरकार ने निर्धारित किया कि जिला सशस्त्र रिजर्व में उप निरीक्षकों के 50% पद स्थानीय पुलिस के उप निरीक्षकों की तरह सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। अपीलकर्ता जिला सशस्त्र रिजर्व में पुलिस उप निरीक्षक हैं। जिला सशस्त्र रिजर्व में सीधी भर्ती द्वारा पुलिस उप निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग (बाद में इसे "पीएससी" कहा जाएगा) द्वारा राजपत्र दिनांक 24.09,1985 में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

(बी) उक्त अधिसूचना के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने उक्त पद के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार के बाद, 05.06,1990 को जिला सशस्त्र रिजर्व में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए एक रैंक सूची तैयार की गई थी।

अपीलकर्ताओं को रैंक यू सूची में भी शामिल किया गया था। उस समय, जब उक्त रैंक सूची लागू हुई, को छोड़कर

विशेष भर्ती, पीएससी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.09.1985 में निर्धारित अनुसार जिला सशस्त्र रिजर्व में उप निरीक्षक के पद के लिए सीधी भर्ती द्वारा किसी को नियुक्त नहीं किया गया था।

(सी) 05.06.1990 को जिला सशस्त्र रिजर्व में उप निरीक्षकों के 207 पद थे। उक्त पदों में से, 11 पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच से केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 (इसके बाद "केएस और एसएसआर" के रूप में संदर्भित) के नियम 17 ए के तहत नियुक्त व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। शेष 196 पदों पर फीयर श्रेणी के प्रमोटियों का कब्जा है। पदोन्नत लोगों ने पूर्णतया अनंतिम आधार पर अनुपात से अधिक पदों पर कब्जा कर लिया। 09.सी8.1990 को, रैंक सूची लागू होने के बाद, उस सूची में से केवल 40 व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए सलाह दी गई थी क्योंकि उस समय पीएससी को केवल 40 रिक्तियों की सूचना दी गई थी।

(डी) चूंकि रैंक धारकों को पीएससी द्वारा सलाह नहीं दी गई थी, इसलिए अपीलकर्ताओं सहित उम्मीदवारों ने रिक्तियों की रिपोर्ट करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश देने और पीएससी को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 1991 की ओपी संख्या 2062 और इसी तरह की अन्य याचिकाएं दायर कीं। टायर भर्ती कोटा में उपलब्ध रिक्तियों के लिए सलाह। 30.05.1991 को, उच्च न्यायालय ने ओपी में 1991 के सीयूपी संख्या 3685, 1991 के संख्या 2062 में एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें पहले प्रतिवादी को 03.061991 से पहले पीएससी को उपलब्ध सभी रिक्तियों की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। 1991. ओपी, संख्या 8188 ऑफ 1990 में दायर दिनांक 25.09.1990 के जवाबी हलफनामे में, सरकार ने कहा था कि 207 पद थे और जिला सशस्त्र रिजर्व में सीधे भर्ती किए गए उप निरीक्षकों द्वारा केवल 11 पदों पर कब्जा किया गया था।

(ई) अंतरिम आदेश के आधार पर, 58 रिक्तियों की रिपोर्ट करने के बजाय केवल 20 रिक्तियों की सूचना पीएससी को दी गई और उन्हें 26.02.1992 को सलाह दी गई। जिला सशस्त्र रिजर्व में आरक्षित उप निरीक्षकों के 207 स्वीकृत पद थे और 50% सीधी भर्ती के लिए दिया जाना है और उन्हें नियुक्ति देने के बाद ही, पदोन्नत व्यक्ति कोई दावा कर सकते हैं।

जिसे पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम द्वारा उप महानिरीक्षक, उत्तरी रेंज, कालीकट को दिनांक 14.01.1992 को संचार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था।

चूँकि 1991 के सीएमपी संख्या 3685 में 1991 के ओपी संख्या 2062 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.05.1991 के आधार पर, सीधी भर्ती के लिए वैध रूप से उपलब्ध रिक्तियों की सूचना पीओसी को नहीं दी गई थी, 1992 की सीएमपी संख्या 11446 वाली एक अन्य याचिका रैंक सूची से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अधिक रिक्तियों की रिपोर्ट करने के लिए दायर की गई थी। उक्त याचिका में 29.06.1992 को उच्च न्यायालय ने 28 रिक्तियों की सूचना पीएससी को परामर्श हेतु देने का आदेश जारी किया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उसी याचिका में 27.11.1992 को एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलकर्ताओं सहित 28 व्यक्तियों को रैंक सूची से पीएससी को सूचित 28 रिक्तियों की सलाह दी गई। उस याचिका में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आदेश के आधार पर दी गई सलाह अनंतिम होगी और सलाह दिए गए अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति पाने के तभी हकदार होंगे, जब अंततः यह पाया जाएगा कि जिन रिक्तियों के लिए सलाह दी गई थी, वे रिक्त पद के दौरान उत्पन्न हुए थे। रैंक सूची की मुद्रा.

(छ) यद्यपि 09.08.1990 को 40 व्यक्तियों को सलाह दी गई थी, 6 व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं आए। 6 नॉन-ज्वाइनिंग ड्यूटी रिक्तियों के लिए, उम्मीदवारों को 05.03.1991 को सलाह दी गई थी। इसके बाद, अंतरिम आदेश के आधार पर रिपोर्ट की गई 20 रिक्तियों के लिए, रैंक

सूची से 20 उम्मीदवारों को 04.01.1993 को सलाह दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के आधार पर सलाह दिए गए 28 उम्मीदवारों में से, एक नॉन-ज्वाइनिंग ड्यूटी रिक्ति निकली। उस रिक्ति के लिए, 03.03.1993 को रैंक सूची से एक और उम्मीदवार को सलाह दी गई थी। पीएससी प्रक्रिया नियमों के नियम 13 के पहले प्रावधान के तहत, रैंक सूची की वैधता 15.04.1993 तक थी, क्योंकि उक्त प्रावधान के तहत, उन मामलों में, जहां उम्मीदवारों को रैंक सूची में शामिल किया गया था, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए था स्वचालित नियुक्ति की ओर जाता है, रैंक सूची की वैधता रैंक सूची को अंतिम रूप देने की तारीख से एक वर्ष या तारीख से एक महीने के बाद होगी |

695 आर.जयरामा एवं अन्य व. केरल राज्य एवं अन्य (पी. सदाशिवम, जे)

रैंक सूची को अंतिम रूप देने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, सूची से चयनित अंतिम बैच के संबंध में पाठ्यक्रम की शुरुआत। अपीलकर्ताओं को सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की सलाह उस समय भी दी गई थी जब रैंक सूची 05.06.1990 को लागू हुई थी। अपीलकर्ताओं का दावा है कि पूर्व के आधार पर। पी-9, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश, उन्हें दी गई सलाह को नियमित माना जाना है। हालाँकि, 1991 की ओपी संख्या 2062 और अन्य संबंधित याचिकाओं को ओ.पी. फैसले पर भरोसा करते हुए

दिनांक 20.07.1995 के फैसले द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1988 का क्रमांक 5676।

(ज) अपीलकर्ताओं की सलाह के बाद, दिनांक 26.12.1995 के आदेश द्वारा, जिला सशस्त्र रिजर्व में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) द्वारा 01.01.1991 को आरक्षित उप निरीक्षकों की एक अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी। चूंकि अपीलकर्ताओं में शामिल 28 व्यक्तियों के मामले, जिन्हें 04.01.1993 को सलाह दी गई थी, को उचित और न्यायसंगत तरीके से नहीं निपटाया गया, सरकार ने महसूस किया कि 28 रिक्तियां जिनके लिए सीधी भर्ती की जानी चाहिए थी, रैंक सूची की अवधि के दौरान मौजूद थीं। पीएससी द्वारा दी गई सलाह के आधार पर 28 व्यक्तियों को सेवा में जारी रखने के लिए केएस और एसएसआर के नियम 39 के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए दिनांक 17.06.1999 को सरकारी आदेश जारी किया गया।

(आई) वरिष्ठता सूची में, केवल 111 व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए थे, जबकि उस समय, जिला सशस्त्र रिजर्व में उप निरीक्षकों की 207 रिक्तियां अनंतिम आधार पर और सीधी भर्ती द्वारा भरी गई थीं। जबकि वरिष्ठता सूची में, केवल 34 व्यक्ति, जो सीधे भर्ती किए गए थे, शामिल थे, सभी अनंतिम पदोन्नत लोगों को वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया गया था। यही कारण है कि सूची में 207 व्यक्तियों के स्थान पर केवल 111 व्यक्ति शामिल थे।

(जे) 01.08,2001 को, 01,01,1996 को आरक्षित उप निरीक्षकों की एक अंतिम वरिष्ठता सूची पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम द्वारा जिला सशस्त्र रिजर्व में तैयार और प्रकाशित की गई थी।

696 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससीआर

यह अपीलकर्ताओं का दावा है कि दिनांक 01.08.2001 के आदेश में, यदि पुलिस महानिदेशक के संचार में बताए गए तथ्यों का सही ढंग से पालन किया गया था, तो सीधी भर्ती वालों को पदोन्नत लोगों से ऊपर रखा जाना चाहिए था। इसलिए, 05.03.1991 को गैर-ज्वाइनिंग ड्यूटी रिक्तियों में सलाह दिए गए 6 व्यक्तियों, 26.02.1992 को सलाह दी गई 20 व्यक्तियों और 04.01.1993 को सलाह दी गई 28 व्यक्तियों सहित सभी सीधी भर्ती वाले लोगों को अब क्रमांक 1 से लगातार नियुक्त किया जाना चाहिए था। वरिष्ठता सूची में आगे. इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जब ऐसा किया जाता है, तो आवश्यक रूप से अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची में दिखाए गए सभी अनंतिम पदोन्नतियों से ऊपर रखा जाएगा।

(के) पदोन्नतियों में से कुछ ने वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए 15.10.2001 को उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 का ओपी नंबर 31240 दायर किया और अपीलकर्ताओं सहित 29 व्यक्तियों को बाहर करने के लिए निर्देश मांगा, जिन्हें दिनांक 11.6.1999 के आदेश के माध्यम

से प्रतिधारण मिला था। वरिष्ठता सूची और उन्हें उप निरीक्षकों से आरक्षित निरीक्षकों में पदोन्नत करना। समर्थकों में से एक, अर्थात् श्री ए.ए. जॉली, जो ओ.पी. में पार्टी नहीं थे। :, 1991 के 4352, 9024 और 2062, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.07.1995 द्वारा समाप्त कर दिया, ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 की रिट अपील संख्या 2191, 2189 और 2190 दायर की: यह घोषणा कि उन्हें वैध रूप से सलाह दी गई थी और 05.06.1990 को लागू हुई रैंक सूची से सीधे भर्ती के लिए जिला सशस्त्र रिजर्व में उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और उस सूची के आधार पर वह सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

(आई) यहां तीसरे प्रतिवादी, अर्थात्, श्री पीबी सुरेश कुमार को 1989 में सीधी भर्ती द्वारा सहायक उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 1995 तक सहायक उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत रहे और 1995 में ही उन्हें पुलिस उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलकर्ता सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, वह उनके अधीन सहायक सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे थे लेकिन उन्हें अपीलकर्ताओं से ऊपर रखा गया था और एस.एन.ओ. पर दिखाया गया था। वरिष्ठता सूची में 17 वहीं, अपीलकर्ताओं को क्रमश: क्रमांक 45, 47, 49, 51, 59, 61 और 67 पर दर्शाया गया है।

697 आर.जयरामा और अन्य वी केरल राज्य और अन्य। [पी। सदाशिवम, जे]

तीसरा प्रतिवादी, जिसे अपीलकर्ताओं के नीचे रखा जाना है और जो वास्तव में, अपीलकर्ताओं की सलाह के लंबे समय बाद उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था क्योंकि उप निरीक्षकों को सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए 50:50 अनुपात का उल्लंघन करते हुए उनके ऊपर रखा गया है। इसी प्रकार, सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाले कई पदोन्नत लोगों को भी अपीलकर्ताओं से ऊपर रखा गया था। इसलिए, अपीलकर्ता ने 2002 की ओपी संख्या 5818 दायर की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2, अर्थात् केरल राज्य और पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय को निर्देशित करने के लिए एक परमादेश रिट की मांग की गई, ताकि उनके आधार पर सीधी भर्ती वाले लोगों को वरिष्ठता दी जा सके। पूर्व से की गई सलाह और नियुक्ति। पी-2, रैंक सूची दिनांक 05.06.1990, सरकारी आदेश दिनांक 18.11.1974 में निर्धारित अनुपात की गणना करते हुए अपीलकर्ताओं के नीचे प्रतिवादी संख्या 3 सहित पदोन्नतियों को नीचे धकेल कर। अपीलकर्ताओं ने यह घोषित करने के लिए एक परमादेश रिट की भी मांग की कि वे उप निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में सीधे भर्ती और पदोन्नति के लिए 50:50 के अनुपात को कड़ाई से लागू करने के हकदार हैं, जैसा कि उक्त सरकार के आदेश में निर्धारित है।

(एम) दिनांक 29.08.2006 के एक सामान्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2002 और ओपी. सं. की रिट अपील संख्या 2189, 2190 और 2191 का निपटारा कर दिया। 1999

का 3596, 2001 का 31240 और 2002 का 5818। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 1999 की सभी रिट अपीलों और ओपी नंबर 3596' को खारिज कर दिया और प्रतिवादी नंबर 3 की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए 2002 के ओपी नंबर 5818 को अनुमति दी। 2001 के ओपी नंबर 31240 में अपीलकर्ताओं के ऊपर अवैध और आंशिक रूप से अनुमति दी गई है कि अपीलकर्ताओं सहित व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखने का दिनांक 17.06.1999 का आदेश उन व्यक्तियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकता है, जिन्हें इसकी तारीख से पहले ही पदोन्नत किया गया था। मुद्दा उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह उनकी नियुक्तियों को बचाने के लिए केवल इसके जारी होने की तारीख से ही प्रभावी हो सकता है और परिणामस्वरूप, पहले सलाह दिए गए 7 व्यक्तियों को छोड़कर ऐसे व्यक्ति केवल आदेश की तारीख यानी 17.06.1999 से वरिष्ठता ले सकते हैं।

(एन) रिट अपीलों को खारिज करने के खिलाफ, श्री एए जॉली एच

698 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससीआर

उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की समीक्षा याचिका संख्या 1163, 1164 और 1165 दायर की गई। 07.02.2007 के एक सामान्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सभी समीक्षा याचिकाओं

को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भले ही कोई गलत निष्कर्ष हो, याचिकाकर्ता के लिए अपील दायर करना ही एकमात्र उपाय है।

(ओ) उन परिस्थितियों में, यहां अपीलकर्ताओं द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से उपरोक्त अपीलें दायर की गई हैं।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर वेंकटरमणी, पदोन्नत व्यक्तियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सीएस राजन और केरल राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता को सुना।

5. विचारार्थ प्रश्न:

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं:

(i) क्या उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता सरकारी आदेश की तारीख यानी 17.06.1999 से प्रभावी होगी और अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता की गणना पीएससी की सलाह की तारीख से नहीं की जाएगी?

(ii) क्या उच्च न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर परिप्रेक्ष्य तरीके से विचार किए बिना 2001 की ओपी संख्या 31240 को आंशिक रूप से अनुमति देकर अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता को परेशान करना उचित था?

6. यह विवाद में नहीं है कि सभी अपीलकर्ताओं को केरल राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार केरल पुलिस के जिला सशस्त्र रिजर्व में रिजर्व सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और 15.03.1993 को उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ था, वे अब जिला सशस्त्र रिजर्व में रिजर्व इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर रहे है । जीओ (एमएस) संख्या 171/74/गृह दिनांक 18,11.1974 के अनुसार, जिला आर्म्ड रिजर्व (रिजर्व सब इंस्पेक्टर) में सब इंस्पेक्टर के 50% पद पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए।

केरल राज्य लोक सेवा आयोग ने दिनांक 24.09.1985 की अधिसूचना के माध्यम से रिजर्व सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए और रैंक सूची 05.06.1990 से लागू हुई। प्रस्तुत विवरण से पता चलता है कि सूची में से 40 उम्मीदवारों को 09.08.1990 को सलाह दी गई थी और जिनमें से 6 उम्मीदवार शामिल नहीं हुए थे और इसलिए 6 अन्य उम्मीदवारों को 05.03.1991 को सलाह दी गई थी। इसके बाद, 26.02.1992 को 20 उम्मीदवारों को सलाह दी गई। इस बीच, रैंक सूची में 11 उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1991 का ओपी नंबर 2062 दायर किया और उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.06.1992 के आदेश द्वारा पुलिस महानिदेशक को पीएससी को 28 रिक्तियों की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया और एक और अंतरिम आदेश जारी किया। 27.11.1992 को पीएससी को 28 रिक्तियों के लिए

उम्मीदवारों को सलाह देने के लिए। तदनुसार, केरल राज्य लोक सेवा आयोग ने 28 उम्मीदवारों को 04.01.1993 को और एक उम्मीदवार को 03.03.1993 को सलाह दी, जबकि 28 में से एक उम्मीदवार शामिल नहीं हुआ। 26.02.1992, 04.01.1993 और 03.03.1993 को सलाह दिए गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 15.03.1993 को शुरू हुआ और 15.12.1993 को पूरा हुआ।

7. यह भी विवाद में नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अंततः 1991 के ओपी नंबर 2062 और अन्य संबंधित याचिकाओं को 20.07.1995 को खारिज कर दिया। उसी के मद्देनजर, केरल लोक सेवा आयोग के सचिव ने दिनांक 09.11.1995 को एक पत्र द्वारा सरकार को 04.01.1993 और 03.03.1993 को सलाह दिए गए उम्मीदवारों को छुट्टी देने के लिए सूचित किया। सरकार। जीओ (आरटी) नंबर 3241/99/होम दिनांक 17.06.1999 के तहत, केएस एंड एसएसआर के नियम 39 को लागू करके उन्हें सेवा में बनाए रखने के आदेश जारी किए गए। 1958, तदनुसार, उन्हें उनकी सलाह की तारीख से रिजर्व सब इंस्पेक्टर के रूप में वरिष्ठता सौंपी गई और 01.01.1996 को रिजर्व सब इंस्पेक्टरों की अंतिम वरिष्ठता सूची में उनके नाम शामिल किए गए। हालाँकि, कुछ जी पदोन्नतियों ने पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले रिजर्व सब इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत सीधे भर्ती किए गए सहायक उप निरीक्षक को सौंपी गई वरिष्ठता को संशोधित करने की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 का ओपी,

संख्या, 5818 दायर किया। 2001 का ओपी नंबर 31240 सीधे तौर पर दी गई वरिष्ठता के खिलाफ एक भर्ती रिजर्व सब इंस्पेक्टर ने आरोप दायर किया गया था|

700 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससीआर

कि उन्हें सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा से अधिक नियुक्त किया गया था। आगे यह देखा गया है कि सामान्य निर्णय दिनांक 29.08.2006 में, उच्च न्यायालय ने पाया कि अंतरिम आदेश दिनांक 29.06.1992 और 27.11.1992 (उम्मीदवारों को 04.01.1993 को सलाह दी गई और) के अनुसार सलाह दिए गए और नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के खिलाफ केवल 7 उम्मीदवार 03.03.1993) को सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा में रखा जाना है और शेष व्यक्ति 17.06.1999, यानी सरकारी आदेश की तारीख से वरिष्ठता के लिए पात्र हैं।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. वेंकटरमणि ने आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य के इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। बनाम: श्री डी. जनार्दन राव और अन्य, (1976) 4 एससीसी 226, ने प्रस्तुत किया कि न्याय और समानता के हित में केएस और एसएसआर के नियम 39 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ताओं के लिए उन्हें बनाए रखने के लिए प्रासंगिक तारीख तय की गई है। सलाह की तिथि के अनुसार सेवा में है। 04.01.1993 न कि सरकारी आदेश की तारीख, यानी 17.06.1999। इसमें कोई

संदेह नहीं है, उस निर्णय में, यह माना गया था कि एपी राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों (जो केएस और एसएस नियमों के नियम 39 के समान है) के नियम 47 के तहत शक्ति का प्रयोग न्याय और समानता के हित में किया जाना है। और आगे यह माना गया कि नियम 47 के तहत कार्रवाई करने का अवसर सरकार का ध्यान उस मामले की ओर आकर्षित होने के बाद उत्पन्न हो सकता है जहां न्याय की विफलता है। आगे यह माना जाता है कि ऐसे मामलों में, पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम 47 के तहत शक्ति का प्रयोग करके ही न्याय किया जा सकता है, अन्यथा नियम का उद्देश्य और उद्देश्य काफी हद तक विफल हो जाएगा। स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को 04.01.1993 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर नियुक्त किया गया था और अंततः उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं और अजीब स्थिति को देखते हुए और सहानुभूतिपूर्ण रवैया दिखाते हुए, सरकार ने शक्ति का प्रयोग किया। नियम 39 के तहत उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए दिनांक 17.06.1999 को एक सरकारी आदेश पारित किया गया। इसलिए, श्री आर. वेंकटरमणी द्वारा लिया गया निर्णय मौजूदा मामलों के लिए मददगार नहीं है।

701 आर.जयरामा एवं अन्य व. केरल राज्य एवं अन्य [पी. सदाशिवम, जे]

9. इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा कर के बलवंत सिंह नरवाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2008) 7 एससीसी-728, श्री वेंकटरमणि ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता,

जिन्हें पहले की रिक्तियों के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण उसी बैच के अन्य लोगों के साथ नियुक्त नहीं किया जा सका, जब बाद में नियुक्त होने पर उन लोगों से ऊपर रखना होगा जिन्हें बाद की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। उक्त दावा भी खारिज किया जा सकता है क्योंकि यह स्थापित कानून है कि पीएससी द्वारा चयन केवल अनुशंसात्मक है और इसका मतलब स्वचालित नियुक्ति नहीं है और नियुक्ति अधिकारियों को पूर्वव्यापी तिथि से वैध कारण के बिना सांकेतिक वरिष्ठता नहीं देनी चाहिए, जो कि इससे उन लोगों की वरिष्ठता प्रभावित होगी जो पहले ही सेवा में प्रवेश कर चुके हैं।

10. सुरिंदर सिंह एवं अन्य में बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (1997) 8 एससीसी 488, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विज्ञापित से अधिक नियुक्तियाँ करना शक्ति का अनुचित प्रयोग है। न्यायालय ने आगे कहा कि केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों और आपातकालीन स्थितियों में ही इस नियम से विचलन किया जा सकता है। आगे यह माना गया कि कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले, मौजूदा रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखना अधिकारियों पर निर्भर होगा। यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राधिकरण विज्ञापित से अधिक पदों को भर सकता है, भले ही रिक्तियों पर ठीक से काम नहीं किया गया हो, इसी विचार को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बाद के फैसले में दोहराया है। राखी राय एवं अन्य में बनाम, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य, (2010) 2 एससीसी 637,

11. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह विवाद में नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर सरकार द्वारा 04.01.1993 को पीएससी को सलाह दी गई थी। उक्त अंतरिम निर्देश के आधार पर, अपीलकर्ताओं के दावे पर विधिवत विचार किया गया, इसके अलावा, यह विवाद में नहीं है कि अंततः उनकी रिट याचिकाएं 20.07.1995 को खारिज कर दी गईं, ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि श्री सीएस राजन द्वारा सही बताया गया है,

पदोन्नत लोगों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुख्य याचिका खारिज होने के बाद, अंतरिम आदेश भी रद्द हो जाता है और अपीलकर्ता दिनांक 04.01.1993 के अंतरिम आदेश के आधार पर किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में, (आई) कर्मचारी राज्य बीमा निगम में इस न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित करना उपयोगी है बनाम ऑल इंडिया आईटीडीसी कर्मचारी संघ और अन्य, (2006) 4 एससीसी 257 (ii) अमरजीत सिंह एवं अन्य बनाम देवी रतन और अन्य, (2010) 1 एससीसी 417 और (iii) के. तुलसीधरन बनाम केरल राज्य लोक सेवा आयोग, त्रिवेन्द्रम एवं अन्य, (2007) 6 एससीसी 190 पहले दो निर्णयों में, यह माना गया था कि एक बार मुख्य रिट सी याचिका खारिज हो जाने के बाद, पहले दिए गए सभी अंतरिम आदेश के साथ विलय हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, तो अंतरिम आदेश स्वतः ही रद्द हो जाता है। तीसरे निर्णय में, इस न्यायालय ने माना

है कि एक बार रैंक सूची समाप्त हो जाने के बाद, पीएससी के पास उस सूची की वैधता बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। इस न्यायालय ने दोहराया है कि एक संवैधानिक निकाय होने के नाते पीएससी को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए और वह किसी मृत सूची की अवधि बढ़ाने का आदेश या अधिसूचना जारी नहीं कर सकता जिसके लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

12. केरल राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने भी स्पष्ट किया है कि पीएससी को 40 रिक्तियों की सूचना पहले ही दी जा चुकी है और उन रिक्तियों के लिए सलाह दिए गए उम्मीदवारों ने 15.02.1991 को प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। अंतरिम आदेश के आधार पर, अकेले 7 रिक्तियों की सूचना दी जा सकती थी और अकेले उन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती की सीधी भर्ती की तारीख के अनुसार कोटा नियम के अनुसार नियुक्त किया जाता।

13. अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनके दावे का मुख्य आधार यह है कि रैंक सूची 15.04.1993 तक लागू रही और अपीलकर्ताओं को 04.01.1993 को नियुक्ति के लिए सलाह दी गई जब रैंक सूची जीवित थी, दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार जब अपीलकर्ताओं को पीएससी द्वारा सलाह दी गई थी तब रैंक सूची जीवित थी। इसलिए, अपीलकर्ताओं के अनुसार, सलाह और नियुक्ति वैध रूप से की गई थी और अपीलकर्ता अपनी सलाह और नियुक्ति को नियमित मानने के हकदार हैं।

उनका दावा यह है कि अपीलकर्ताओं की सलाह और नियुक्ति के आधार पर, वे अपनी सलाह की तारीख यानी 04.01.1993 से वरिष्ठता और सभी परिणामी लाभ पाने के हकदार हैं, न कि सरकारी आदेश की तारीख यानी 17.06.1999 से। उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित. अपीलकर्ताओं के उपरोक्त दावे को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि सीधी भर्ती वाले के पास 40 पदों के संबंध में वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं था। प्रारंभ में केवल 27 रिक्तियों की सूचना दी गई थी। यदि 27 पदों की गणना की जाती है, तो सीधी भर्ती अधिसूचित रिक्तियों के 50% तक सीमित होनी चाहिए। विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य गृह विभाग का दिनांक 22.08.1984 का एक पत्र है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उल्लिखित पदों की संख्या 187 है। सीधी भर्ती के पक्ष में 50% कोटा 93 होगा। अभिलेखों से, यह देखा गया है तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि 119 पदोन्नत व्यक्ति उपनिरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। सीधी भर्ती की संख्या 41 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती 11 पदों पर हुई। उक्त 11 पदों को घटाकर कोटा में काम करना होगा। डिवीजन बेंच के अनुसार, हालांकि अपीलकर्ताओं ने दावा किया था कि सभी पदों को अनुपात के अनुसार काम करने के लिए गिना जाना चाहिए, यदि विशेष भर्ती के लिए निर्धारित 11 पदों को घटा दिया जाए, तो शेष 176 हो जाएगा। नतीजतन, 50% पद प्रत्यक्ष के कारण हैं भर्तियां 176 X ½ यानि की आएंगी यानि 83 मे से इस पद पर

पहले से ही 41 सीधी भर्ती वाले लोग मौजूद थे। परिणामस्वरूप, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध अतिरिक्त पद 47 पद थे। 88- 41=47 गृह विभाग की आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर रिक्तियों के अनुपात और संख्या के इस सरल अंकगणित के आधार पर, डिवीजन बेंच ने पाया कि पीएससी द्वारा तैयार रैंक सूची से केवल 40 व्यक्तियों को उपलब्ध कोटा में समायोजित किया जा सकता है। 7 पद उनकी आवंटन पात्रता से बाहर हैं। वरिष्ठता की गणना पद की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर की जानी थी। वास्तव में, अपीलकर्ताओं की रिहाई को रोकने के लिए, सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए एक आदेश लेकर आई और डिवीजन बेंच ने 17.06.1999 से अपीलकर्ता की सेवाओं को बरकरार रखते हुए इसे बरकरार रखा।

704 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2010] 15 (एडीडीएल) एससीआर

14. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और नियमों के संदर्भ में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा, अंतरिम आदेश दिनांक 30.05.1991 के बाद सलाह दिए गए पहले 7 उम्मीदवार अकेले 50% कोटा के खिलाफ रिक्तियों के लिए कानूनी रूप से पात्र थे। सीधी भर्ती का अन्य, उस 7 से अधिक कानून के अनुसार पात्र नहीं हैं। यदि अपीलकर्ताओं को आवश्यक रूप से समायोजित किया जाता है, तो यह नियुक्ति की विधि के अनुसार पदोन्नत लोगों के उनके योग्य कोटा पर कब्जा करने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

15. जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा, सरकार द्वारा छूट और छूट का आदेश किसी को भी विशेष रूप से पदोन्नत लोगों को कोई अवसर दिए बिना दिया गया था, सबसे अच्छा, सरकारी आदेश संभावित रूप से संचालित होता है और यदि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना है तो यह होगा उन व्यक्तियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्हें जारी होने की तारीख से पहले ही पदोन्नत किया गया था।

निष्कर्ष:

16. इन परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने लागू नियमों के अनुसार सभी पहलुओं पर विचार किया है और हम उक्त निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं, परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं का दावा उचित है तदनुसार, सभी अपीलें विफल हो जाती हैं और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है|

अपीलें खारिज